

क्रमांक:- एफ/2/3/लागत/1015/167

दिनांक:- 8/5/96 (90)

कार्यालय-आदेश

वित्तिय वर्ष 1996-97 के लिए भूमि एवं विकास दर बाबद ।

वित्तिय वर्ष 1996-97 के लिए सभी योजनाओं के लिए रिहायशी आवासों की लागत गणना हेतु एवं वाणिज्यिक भू-खण्ड की आरक्षित भूमि एवं विकास दरों के निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्रमांक	योजना का नाम	रिहायशी	वाणिज्यिक
1-	वग विहार, जयपुर	295/-	1270/-
2-	नाहरी का नाका, जयपुर	830/-	3565/-
3-	लाल कोठी, जयपुर	990/-	4255/-
4-	घाट की गुणी, जयपुर	295/-	1270/-
5-	मालवीय नगर, जयपुर	945/-	4060/-
6-	मानसरोवर, जयपुर	545/-	2340/-
7-	जवाहर नगर, जयपुर	1025/-	4405/-
8-	प्रताप नगर, साँगाणेर	545/-	2340/-
9-	सीकर	455/-	1955/-
10-	डुन्डुनू	295/-	1270/-
11-	आनासागर, अजमेर	430/-	1850/-
12-	वैशाली नगर, अजमेर	485/-	2085/-
13-	अजयनगर, अजमेर	430/-	1850/-
14-	धोलाभाटा, अजमेर	305/-	1310/-
15-	नाकामदार, अजमेर	330/-	1420/-
16-	किशमगढ़, अजमेर	540/-	2320/-
17-	ब्यावर	295/-	1270/-
18-	सी. ई. बी. अलवर	560/-	2405/-
19-	एस. डब्लु. बी. अलवर	455/-	1955/-
20-	10-बी. अलवर	455/-	1955/-
21-	एन. ई. बी. विस्तार/		
	एन. ई. बी. अलवर	495/-	2125/-
22-	एन. ई. बी. अलवर ३ कम्पनी ३	660/-	2835/-

कुमारा... 2 ...

क्रमांक	योजना का नाम	रिहायशी	वाणिज्यिक
23-	शान्ता कुन्ज, अलवर	580/-	2490/-
24-	कृष्णानगर, भरतपुर	405/-	1740/-
25-	एस.टी.सी. भरतपुर	600/-	2580/-
26-	सवाईमाधौपुर	390/-	1675/-
27-	भिवाड़ी	580/-	2490/-
28-	धौलपुर	355/-	1525/-
29-	चौपासनी रोड़, जौधपुर	580/-	2490/-
30/-	प्रतापनगर, जौधपुर	580/-	2490/-
31-	मधुवन, जौधपुर	315/-	1355/-
32-	भगत की कोठी, जौधपुर	580/-	2490/-
33-	बालोतरा, जौधपुर	330/-	1420/-
34-	सिवाना, जौधपुर	255/-	1095/-
35-	सूरतगढ़	265/-	1140/-
36-	सिरोही	280/-	1205/-
37-	श्यामनगर, श्रीगंगानगर	140/-	1460/-
38-	जवाहरनगर, श्रीगंगानगर	305/-	1310/-
39-	हनुमानगढ़	235/-	1010/-
40-	पवनपुर, बीकानेर	495/-	2125/-
41-	मुक्ताप्रसादनगर, बीकानेर	415/-	1785/-
42-	पवनपुरी, विस्तार, बीकानेर	495/-	2125/-
43-	शोस्त्रीनगर, भीलवाड़ा	415/-	1785/-
44-	शोस्त्रीनगर, विस्तार, भी0	415/-	1785/-
45-	बापूनगर, भीलवाड़ा	330/-	1420/-
46-	चन्द्रपुर, आजानगर, भी0	330/-	1420/-
47-	हिरण्यगरी, उदयपुर	660/-	2835/-
48-	गोवर्धन विलास, उदयपुर	660/-	2835/-
49-	नाथदारा, उदयपुर	355/-	1525/-
50/-	रायला	265/-	1140/-
51-	गुलाबपुरा	315/-	1355/-
52-	कमला नेहलनगर, पाली	310/-	1335/-
53-	माही कॉलोनी, बाँसवाड़ा	395/-	1695/-
54-	माहीसरोवर, बाँसवाड़ा	415/-	1785/-

3  
4  
5

22

187

-:: 3 ::-

क्रमांक	योजना का नाम	रिहायशी	व्यावसायिक
55-	कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़	355/-	1525/-
56-	प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़	365/-	1570/-
57-	बापूनगर, चित्तौड़गढ़	380/-	1635/-
58-	डुंगरपुर	415/-	1785/-
59-	चन्देरी	410/-	1765/-
60/-	दादावाड़ी, कोटा	660/-	2835/-
61-	दादावाड़ी विस्तार, कोटा	660/-	2835/-
62-	केशोपुरा, कोटा	430/-	1850/-
63-	तलवण्डी	485/-	2085/-
64-	वल्लभवाड़ी, कोटा	680/-	2920/-
65-	विज्ञाननगर, कोटा	660/-	2835/-
66-	महावीरनगर, कोटा	485/-	2085/-
67-	गणेशसालाब, कोटा	510/-	2195/-
68-	साबरमती, कोटा	660/-	2835/-
69-	रंगवाड़ी, कोटा	615/-	2645/-
70-	रामगंजमण्डी, कोटा	355/-	1525/-
71-	बौरा	355/-	1525/-
72-	विकासनगर, बूंदी	365/-	1570/-
73-	झालावाड़	415/-	1785/-
74-	सुमेरपुर	255/-	1095/-
75-	गुप्तेश्वर रोड, दौसा	395/-	1695/-
76-	गाँधीनगर, चित्तौड़गढ़	410/-	1765/-
77-	नागौर फैज प्रथम	365/-	1570/-
78-	सुनेल	160/-	690/-
79-	भयानी मण्डी	380/-	1635/-
80-	इन्दिरानगर, डुंगरपुर	340/-	1460/-
81-	निम्बाहेड़ा	280/-	1205/-
82-	दौराई, अजमेर	460/-	1980/-
83-	कुड़ीभतासनी, जौधपुर	320/-	1375/-
84-	जवाहरनगर, भरतपुर	900/-	3870/-
85-	टोक	430/-	1850/-
86-	पानेरियों की मादड़ी, उद. 660/-		2835/-

7



क्रमांक	योजना का नाम	रिहायशी	व्यावसायिक
87-	जवाहरनगर, बूंदी	460/-	1975/-
88-	प्रतापगढ़	330/-	1420/-
89-	प्रतापनगर, उदयपुर		2320/-
	सिन्धी समाज	540/-	

उक्त दरों की गणना बोर्ड बैंक के विचार बिन्दु 172.8 में लिए गए निर्णय के अनुसार की गई हैं।

#### टिप्पणी:-

निम्नलिखित पूर्व हीर्षोत्त तथागत लागू रहेगी।

- 1- उपरोक्त आरक्षित दरें रिहायशी मध्यम आय वर्ग के लिए होगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु वर्ष 1995-96 में लागू आरक्षित दरें ही वर्ष 1996-97 के लिए मान्य होगी। अन्य आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 5% की छूट दी जावेगी मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग हेतु उपरोक्त में क्रमशः 5% व 10% की वृद्धि की जावेगी।
- 2- संस्थाओं को भूमि आवंटित करते समय उपरोक्त दरों से गणना पर 25% उपरिव्यय भार अतिरिक्त होगा।
- 3- भूमि एवं विकास दर की लागत गणना करते समय उपरिव्यय वस्तुवृद्धि वस्तुल किये जायेंगे।
- 4- आवासीय भूमि के लिए लीज राशि 2.5% होगी। वाणिज्यिक भूमि के लिए लीज राशि 5% ली जायेगी।
- 5- अतिरिक्त भूमि हेतु भूमि एवं विकास दर की गणना निर्धारित दर पर 25% उपरिव्यय जोड़ते हुए की जावेगी।
- 6- आवासीय भू-खण्ड की नीलामी हेतु संबंधित श्रेणी के भू-खण्ड की आरक्षित दर लागत हेतु निर्धारित आरक्षित दर की दौ गुणा होगी।
- 7- वाणिज्यिक भू-खण्ड की दराधी गई आरक्षित दर में उपरिव्यय शामिल हैं।

सी. एम. अग्रवाल

वि० स० एवं मुख्याधिकारी,  
राज० आवा० मण्डल, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1- निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 2- निजी सहायक, सचिव/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/वसूली, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 4- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 5- समस्त सम्पदा प्रबन्धक/लेखाधिकारी- - - - -
- 6- समस्त उप आवासन आयुक्त- - - - -
- 7- समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड - - - - -
- 8- जन सम्पर्क अधिकारी - - - - -

वि० सो एवं मुख्यलेखाधिकारी,

राजस्थान आवासीय आयोग, जयपुर ।

क्रमांक: - ७५/२/३/आवासीय/१७५/७७७

दिनांक: - ०१-०३-७७

कार्यालय-आदेश

मण्डल की बैठक दिनांक १३.१२.७६ की प्रिन्सिपल सेक्टर १७५-१३ की अनुमति में  
मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं की भूमि व विकास टर के क्रम में जारी  
कार्यालय आदेश क्रमांक: - ७५/२/३/आवासीय/१७५/७७७ दिनांक ०५.०५.७६ को दिनांक  
३१.०३.७७ तक स्थगित किया गया है। अतः भूमि व विकास टर पूर्व त्वीकृत  
आदेशों के अन्वय ही ३१.०३.७७ तक अनुमति है।

(Signature)  
दि. ०१ जे. सुब्रह्मण्यम्,  
राज्य आवासीय मंडल, जयपुर ।

प्रतिलिपि: - सूचनार्थ पत्र आवासीय कार्यालयी हेतु ।

- १- निजी सचिव अध्यक्ष/आवासीय आयोग, राज्य आवासीय मंडल, जयपुर ।
- २- निजी सहायक सचिव/मुख्य/अधीक्षारी/विकास सेक्टर अधिकारी/प्रथम/द्वितीय/  
तृतीय, राजस्थान आवासीय मंडल, जयपुर ।
- ३- मुख्य अभियन्ता/प्रति-मुख्य अभियन्ता/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासीय मंडल,  
जयपुर ।
- ४- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासीय मंडल, जयपुर ।
- ५- सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासीय मंडल, जयपुर ।
- ६- उप आवासीय आयोग, जयपुर - - - - -
- ७- आवासीय अभियन्ता, - - - - -
- ८- जन सम्पर्क अधिकारी, (मुख्यालय) राजस्थान आवासीय मंडल, जयपुर ।




राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक: -एफ/2/3/लागत/1015/800

दिनांक: - 31.3.1997


कार्यालय-आदेश

मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं की भूमि व विकास दर के क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक: -एफ/2/3/लागत/1015/107 दिनांक 8.5.76 को दिनांक 30.6.77 तक स्थगित किया जाता है । अतः भूमि व विकास दर पूर्व स्वीकृत आदेशों के अनुसार ही 30.6.77 तक कार्यालयीय हैं । इन आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

  
वि० स० एवं मुख्यलेखाधिकारी,  
राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।

प्रतिलिपि: -सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल, जयपुर ।
- 2- निजी सहायक सचिव/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रथम/द्वितीय/राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता/अति.मुख्य अभियन्ता/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 4- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 5- सम्पदा प्रबन्धक, राज० आवा० मण्डल, - - - - -
- 6- उप आवासन आयुक्त, वृत्त - - - - -
- 7- आवासीय अभियन्ता, - - - - -
- 8- जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।



क्रमांक: -एफ/2/3/लागत/1015/165

दिनांक: - 1-7-97

कार्यालय-आदेश

मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं की भूमि व विकास दर के क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक: -एफ/2/3/लागत/1015/107 दिनांक 8.5.96 को दिनांक 31.8.97 तक स्थगित किया जाता है। अतः भूमि व विकास दर पूर्व स्वीकृत आदेशों के अन्वय ही 31.8.97 तक चलायीय हैं। इन आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

19-1-11-11-11

वि० स० एवं मुख्यलेखाधिकारी,  
राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक: -एफ/2/3/लागत/1015/165

दिनांक: - 1.7.97

प्रतिलिपि: - सूचनार्थ स्वयं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज०आवा०मण्डल, जयपुर ।
- 2- निजी सहायक सचिव/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रथम/द्वितीय/  
राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता/अति, मुख्य अभियन्ता/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज०आवा०मण्डल,  
जयपुर ।
- 4- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 5- सम्पदा प्रबन्धक, राज०आवा०मण्डल, जयपुर ।
- 6- उप आवासन आयुक्त, वृत्त .....
- 7- आवासीय अभियन्ता, .....
- 8- जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय। राज०आवा०मण्डल, जयपुर ।

19-1-11-11-11



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक: -एफ/2/3/लागत/609/470/788

दिनांक: -24-3-97

कार्यालय-आदेश

मण्डल की निम्नलिखित आवासीय योजनाओं वित्तिय वर्ष 1996-97 के लिये संशोधित भूमि एवं विकास दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

योजना का नाम	रिहायशी आरक्षित दर प्र.व.मी.	घाणिज्यिक दर प्र.व.मी.
साकेत नगर विस्तार, ब्यावर	320/-	1375/-
पंचशील, अजमेर	430/-	1850/-

उक्त भूमि एवं विकास दर के सन्दर्भ में अध्यक्ष महीन्द्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या एफ/2/3/लागत/470 एवं 609/ पर प्राप्त हैं । भूमि एवं विकास दर के सम्बन्ध में अन्य शर्तें पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक एफ/2/3/लागत/1015/172 दिनांक 19.6.93 के अनुसार यथावत रहेगी ।

*(Signature)*  
 वि० स० एवं मुख्यलेखाधिकारी,  
 राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।

प्रतिलिपि: - सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 2- निजी सहायक सचिव/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता/अति-मुख्य अभियन्ता/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 4- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 5- सम्पदा प्रबन्धक, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 6- उप आवासन आयुक्त, - - - - -
- - - - -
- - - - -

वित्तीय वर्ष 1997-98 हेतु दिनांक 1.11.97 से  
वसूलीय भूमि एवं विकास दर बाबत ।

मण्डल की 176 वीं बैठक दिनांक 13.8.97 के निर्णय बिन्दु संख्या  
176.13 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 1997-98  
हेतु दिनांक 1.11.97 से मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों की लागत  
अर्थात् एवं वाणिज्यिक भूखण्ड की आरक्षित भूमि एवं विकास दर निम्नानुसार  
निर्धारित की जाती हैं:-

क्रमांक	योजना का नाम	रिहायशी	वाणिज्यिक
1-	वन विहार, जयपुर	295/-	1270/-
2-	नाहरी का नाक, जयपुर	830/-	3565/-
3-	लाल कोठी, जयपुर	990/-	4255/-
4-	घाट की गुणी, जयपुर	295/-	1270/-
5-	मालवीय नगर, जयपुर	945/-	4060/-
6-	मानसरोवर, जयपुर	545/-	2340/-
7-	जवाहर नगर, जयपुर	1025/-	4405/-
8-	प्रताप नगर, साँगानेर	545/-	2340/-
9-	सीकर	455/-	1955/-
10-	झुंझुनू	295/-	1270/-
11-	आनासागर, अजमेर	430/-	1850/-
12-	पंचशील, अजमेर	510/-	2190/-
13-	वैशालीनगर, अजमेर	485/-	2000/-
14-	अजयनगर, अजमेर	430/-	1850/-
15-	धौलाभाटा, अजमेर	305/-	1310/-
16-	नाकामदार, अजमेर	550/-	2365/-
17-	किशनगढ़, अजमेर	560/-	2405/-
18-	साकेतनगर, ब्यावर	295/-	1270/-
19-	साकेतनगर, विस्तार ब्यावर	380/-	1635/-
20-	सी. ई. बी. अलवर	560/-	2405/-

21-	एस. डब्लु. बी. अलवर	455/-	1955/-
22-	10-बी. अलवर	455/-	1955/-
23-	एन. ई. बी. सि. / एन. ई. बी. अलवर	495/-	2125/-
24-	एन. ई. बी. अलवर & टम्पनी. 1	660/-	2835/-
25-	शान्ता कुन्ज, अलवर	580/-	2490/-
26-	कृष्णानगर, भरतपुर	405/-	1740/-
27-	एस. टी. सी. भरतपुर	600/-	2580/-
28-	सवाईमाधौपुर	390/-	1675/-
29-	भिवाड़ी	580/-	2490/-
30-	भिवाड़ी सेक्टर 4 व 7	860/-	3695/-
31-	धौलपुर	355/-	1525/-
32-	चौपासनी रोड, जौधपुर	580/-	2490/-
33-	प्रतापनगर, जौधपुर	580/-	2490/-
34-	मधुवन, जौधपुर	315/-	1355/-
35-	भगत की कोठी, जौधपुर	580/-	2490/-
36-	बालोतरा,	330/-	1420/-
37-	सिवागा,	255/-	1095/-
38-	सूरतगढ़	265/-	1140/-
39-	सिरोही	280/-	1205/-
40-	श्यामनगर, श्रीगंगानगर	340/-	1460/-
41-	जवाहरनगर, श्रीगंगानगर	305/-	1310/-
42-	हनुमानगढ़	270/-	1160/-
43-	पवनपुरी, बीकानेर	495/-	2125/-
44-	मुक्ताप्रसादनगर, बीकानेर	415/-	1785/-
45-	पवनपुरी विस्तार, बीकानेर	495/-	2125/-
46-	शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा	415/-	1785/-
47-	शास्त्रीनगर विस्तार, भील.	415/-	1785/-
48-	बापूनगर, भीलवाड़ा	330/-	1420/-
49-	चन्द्रशेखर, आनंद, नगर, भील.	330/-	1420/-
50-	हिरण्यगरी, उदयपुर	660/-	2835/-
	... ..	660/-	2835/-



52-	नाथद्वारा, उदयपुर	355/-	1525/-
53-	रायला	265/-	1140/-
54-	गुलाबपुरा ✓	315/- ✓	1355/- ✓
55-	कमला नेहरूनगर, पाली	310/-	1335/-
56-	माही कॉलोनी, बाँसवाड़ा	395/-	1695/-
57-	माही सरोवर, बाँसवाड़ा	415/-	1785/-
58-	कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़	355/-	1525/-
59-	प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़	365/-	1570/-
60-	बापूनगर, चित्तौड़गढ़	380/-	1635/-
61-	सैती, चित्तौड़गढ़	560/-	2405/-
62-	डुंगरपुर	415/-	1755/-
63-	चन्देरी, चित्तौड़गढ़	410/-	1765/-
64-	दादाबाड़ी, कोटा	660/-	2835/-
65-	दादाबाड़ी, विस्तार, कोटा	660/-	2835/-
66-	केशोपुरा, कोटा	430/-	1850/-
67-	तलवंडी,	465/-	2085/-
68-	वल्लभाड़ी, कोटा	680/-	2920/-
69-	विज्ञाननगर, कोटा	660/-	2835/-
70-	महावीरनगर, कोटा	485/-	2085/-
71-	गणेशालाब, कोटा	510/-	2195/-
72-	साबरमती, कोटा	660/-	2835/-
73-	रंगबाड़ी, कोटा	615/-	2645/-
74-	रामगंजमण्डी, कोटा	355/-	1525/-
75-	बाँरा	355/-	1525/-
76-	विकासनगर, बुँदी	365/-	1570/-
77-	झालावाड़	415/-	1785/-
78-	सुमेरपुर	255/-	1095/-
79-	गुप्तेश्वर रोड़, दौसा	395/-	1695/-
80-	गाँधीनगर, चित्तौड़	410/-	1765/-
81-	नागौर फैजप्रथम	365/-	1570/-
82-	सुनेल	160/-	690/-
83-	भवानी मण्डी	380/-	1635/-

32

84-	इन्दिरानगर, डुंगरपुर	340/-	1460/-
85-	निम्बाहेडा	280/-	1205/-
86-	दौराई, अजमेर	460/-	1980/-
87-	कुडीभगत।सनी, जोधपुर	320/-	1375/-
88-	जवाहरनगर, भरतपुर	1080/-	4640/-
89-	ढोंक	430/-	1850/-
90-	प्रानेरियों की मादड़ी, उदयपुर	660/-	2835/-
91-	जवाहरनगर, बूंदी	460/-	1975/-
92-	प्रतापगढ़	330/-	1420/-
93-	प्रतापनगर, उदयपुर। सिन्धी समाज।	540/-	2320/-
94-	सकतपुरा, कोटा	80/-	340/-

निम्न शर्तों पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेगी ।

- 1- उपरोक्त आरक्षित दरें 'रिहायशी' मध्यम आय वर्ग 'अ' के लिए होगी आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 10% की एवं अल्प आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 5% की छूट दी जावेगी मध्यम आय वर्ग 'ब' एवं उच्च आय वर्ग हेतु उपरोक्त में क्रमशः 5% त 10% की वृद्धि की जायेगी ।
- 2- संस्थाओं को भूमि आवंटित करते समय उपरोक्त दरों से गणना पर 25% उपरिव्यय भार अतिरिक्त होगा ।
- 3- भूमि एवं विकास दर की लागत गणना करते समय उपरिव्यय वर्गांतर सार वसूल किए जायेंगे ।
- 4- आवासीय भूमि के लिए लीज राशि 2.5% होगी । वाणिज्यिक भूमि के लिए लीज राशि 5% की जायेगी । *लीज की राशि आवासीय भूमि के लिए 2.5% और वाणिज्यिक भूमि के लिए 5% की जायेगी ।*
- 5- अतिरिक्त भूमि हेतु भूमि एवं विकास दर की गणना निर्धारित दर पर *50% अतिरिक्त दर आवासीय भूमि के लिए 2.5% और वाणिज्यिक भूमि के लिए 5% की जायेगी ।*
- 6- आवासीय भूखण्ड की नीलामी हेतु संबंधित श्रेणी के भूखण्ड की आरक्षित दर हेतु निर्धारित आरक्षित दर की दूई गुणा एवं 25% उपरिव्यय शामिल किए जायेंगे ।

*श्री. रत. भटनागर*

कृपया...

श्री. रत. भटनागर

कार्यालय - आदेश

मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु आदेश क्रमांक 367 दिनांक: 29.10.97 द्वारा भूमि एवं विकास दर वर्ष 1997-98 के लिये निर्धारित की गई थी। दिनांक 1.7.98 को सम्पन्न हुई मण्डल की वैक संख्या 180 के विन्दु संख्या 180.7 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 906 दिनांक 4.8.98 में लिये गये निर्णयानुसार उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 29.10.97 द्वारा निर्धारित भूमि एवं विकास दर की वैधता दिनांक 31.3.99 तक बढ़ाई जाती है। अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी।

र.के.गुप्ता

वि० स० एवं मुख्यलेखाधिकारी,

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु: -

- 1- निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल, जयपुर ।
- 2- निजी सहायक सचिव/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, /प्रथम/द्वितीय, राज.आवा.मण्डल, जयपुर ।
- 3- अति.मुख्य अभियन्ता, /प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज.आवा.मण्डल, जयपुर ।
- 4- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज.आवा.मण्डल, जयपुर ।
- 5- सम्पदा प्रबन्धक, .....
- 6- उप आवासन आयुक्त, .....
- 7- आवासीय अभियन्ता, .....
- 8- जनसम्पर्क अधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी,



: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर :

दिनांक : 31.3.99


34

क्रमांक-एफ/2/3/लागत/1015/689

-: कार्यालय आदेश :-


मण्डल की दिनांक 1.7.98 को सम्पन्न हुई बैठक संख्या-180 के बिन्दु संख्या-180.7 में लिये गये निर्णयानुसार आदेश क्रमांक-367 दिनांक 29.10.97 द्वारा मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु प्रभावी भूमि एवं विकास दर की वैधता अवधि कार्यालय आदेश क्रमांक-एफ/2/3/लागत/1015/261 दिनांक 14.8.98 द्वारा दिनांक 31.3.99 तक बढ़ाई गई थी। उक्त प्रभावी भूमि एवं विकास दर की वैधता अवधि कार्यालय आदेश क्रमांक-एफ/2/3/लागत/1015/261 दिनांक 14.8.98 द्वारा दिनांक 31.3.99 तक बढ़ाई जाती है। अन्य शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी।

यह आदेश अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किये जाते हैं।

  
P. K. Gupta  
व्यक्तिगत सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2- निजी सहायक-सचिव/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय, रा. आ. मं., जयपुर।
- 3- अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
- 5- सम्पदा प्रबन्धक, वृत.....
- 6- उप आवासन आयुक्त, वृत.....
- 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड.....
- 8- जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।

  
मुख्य लेखाधिकारी,  
राज. आवासन मण्डल, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

35

88

क्रमांक: - एन/2/3/लागत/1015"बी"/253 दिनांक: - 27.8.99

- :: कार्यालय-आदेश :: -

मण्डल की मानसरोवर, योजना, जयपुर की वित्तीय वर्ष 1999-2000 हेतु दिनांक 1.7.99 से 30.6.2000 तक के लिए प्रभावी भूमि एवं विकास दर निम्नागुसार निर्धारित की जाती है:-

रिहायशी आरक्षित दर प्र.व.मी. वाणिज्यिक दर  
मध्यम आय वर्ग 'अ' के लिये प्र.व.मी.  
700/- 3010/-

उक्त भूमि एवं विकास दर के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन पत्रावली संख्या एन/2/3/लागत/1015"बी"/के अनु. 31 पर प्राप्त है। अन्य शर्तें पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक एन/2/3/लागत/1015/238 दिनांक 20.8.99 के अनुसार यथावत रहेगी।

सीताराम शर्मा

वि० स० एवं मुख्यलेखाधिकारी

प्रतिलिपि: - सूचनार्थ स्वयं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज० आवा० मण्डल, जयपुर।
- 2- निजी सहायक सचिव/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, /प्रथम/द्वितीय, राज० आवा० मण्डल, जयपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता/अति. मुख्य अभियन्ता, /प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज० आवा० मण्डल, जयपुर।
- 4- मुख्य तन्त्रदा प्रबन्धक, राज० आवा० मण्डल, जयपुर।
- 5- तन्त्रदा प्रबन्धक, राज० आवा० मण्डल, -----
- 6- आवासन आयुक्त, -----
- 7- आवासीय अभियन्ता, -----
- 8- स. स. अधिकारी, राज० आवा० मण्डल, -----



क्रमांक: - एर/2/3/लागत/1015"ए"/ 238

दिनांक: - 20/8/99

- :: कार्यालय - आदेश :: -

राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिये वर्ष : 1999-2000 हेतु 30 जून 2000 तक प्रभावी योजनावार आवासीय मध्यम आय वर्ग "अ" एवं वाणिज्यिक भूमि एवं विकास दर निम्नागुसार निर्धारित की जाती है। आरक्षित दरें 1.7.99 से प्रभावी मानी जाएगी।

extended upto 30/6/02 vide order no - 230 dt 13/8/01

30/6/03 vide no - 219 dt 29/7/03

आरक्षित दर प्र.व.मी. रु में :

क्र.सं. योजना का नाम

आवासीय

वाणिज्यिक

मध्यम आयवर्ग

"अ" :

1.	प्रतापनगर, सॉमानेर	685/-	2945/-
2.	मानसरोवर, जयपुर NO 253 dt 27/8/99	700/-	3010/-
3.	डोंक	430/- 675/-	1850/- 2800/- vide no 145/14/6/02
4.	वन विहार, जयपुर	340/-	1460/-
5.	नाहरी का नाका, जयपुर	960/-	4125/-
6.	लाल कोठी, जयपुर	1145/-	4920/-
7.	घाट की गूणी, जयपुर	340/-	1460/-
8.	मालवीनगर, जयपुर	1090/-	4685/-
9.	जवाहरनगर, जयपुर	1185/-	5095/-
10.	सीकर	455/-	1955/-
11.	चूरु	495/-	2130/-
12.	हनुमान	295/-	1270/-
13.	सि. ई. बी. अलवर योजना 29/2/99	660/-	2840/- vide no 213 dt 12/7/2001
14.	सत. डबल्यू. बी. अलवर	560/-	2405/-
15.	10 बी. अलवर	455/-	1955/-

क्रमशः 2 ...



16.	एन. ई. बी. विस्तार, अलवर	495/-	2125/-
17.	एन. ई. बी. कम्पनी. अलवर	650/-	2835/-
18.	शान्ताकुन्ज, अलवर	580/-	2490/-
19.	एन. ई. बी. अलवर	495/-	2125/-
20.	कृष्णानगर, भरतपुर	405/-	1740/-
21.	एन. टी. सी. भरतपुर	600/-	2580/-
22.	जवाहरनगर, भरतपुर	1080/-	4640/-
23.	सवाईमाधोपुर	390/-	1675/-
24.	भिखाड़ी	580/-	2490/-
25.	भिखाड़ी सैक्टर 4 व 7	860/-	3695/-
26.	धौलपुर	355/-	1525/-
27.	गुप्तेश्वर रोड़, दौसा	395/-	1695/-
28.	आनासागर, अजमेर	500/-	2150/-
29.	वैशालीनगर, अजमेर	560/-	2410/-
30.	अजयनगर, अजमेर	500/-	2150/-
31.	धौलाभाटा, अजमेर	355/-	1525/-
32.	नाकामटार, अजमेर	550/-	2365/-
33.	पंचशील, अजमेर	585/-	2515/-
34.	दौराई, अजमेर	530/-	2280/-
35.	किशनगढ़	560/-	2405/-
36.	साकेतनगर, ब्यावर	295/-	1270/-
37.	साकेतनगर, विस्तार, ब्यावर	380/-	1635/-
38.	गढ़ीधोरियन ब्यावर	445/-	1915/-
39.	चौपासनी रोड़, जौधपुर	670/-	2880/-
40.	प्रतापनगर, जौधपुर	670/-	2880/-
41.	मधुवन, जौधपुर	360/-	1550/-
42.	भगत की कोठी, जौधपुर	670/-	2880/-
43.	कुड़ीभगतसनी, जौधपुर	370/-	1590/-

$(585 + 10\% = 645 \times 8.2968 = 5351)$   
5355/-

कुमश. 3 ...

44.	बालोतरा	330/-	1420/-
45.	शिखाना	255/-	1095/-
46.	सूरतगढ़	265/-	1140/-
47.	नागौर	450/-	1935/-
48.	सिरोही	280/-	1205/-
49.	सुमेरपुर	255/-	1095/-
50.	कमलानेहरू नगर, पाली	310/-	1335/-
51.	नई आवासीय योजना, पाली	260/-	1120/-
52.	इपामनगर, श्रीगंगानगर	340/-	1460/-
53.	जवाहरनगर, श्रीगंगानगर	305/-	1310/-
54.	हनुमानगढ़	270/-	1160/-
55.	पवनपुरी, बीकानेर	575/-	2470/-
56.	सुक्ताप्रशाद, बीकानेर	480/-	2040/-
57.	पवनपुरी विस्तार, बीकानेर	575/-	2470/-
58.	हिरण्मगरी, उदयपुर	765/-	3290/-
59.	गोवर्धनविलास, विस्तार, उदयपुर	850/-	3655/-
60.	गोवर्धन विलास, उदयपुर	765/-	3290/-
61.	पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर	765/-	3290/-
62.	पानेरियों की मादड़ी, वि., उदयपुर	780/-	3355/-
63.	प्रतापनगर, उदयपुर । सि. समाज ।	620/-	2665/-
64.	नाथद्वारा	355/-	1525/-
65.	गोविन्दनगर, राजसमंद	320/- ✓	1375/-
66.	डूंगरपुर	415/-	1785/-
67.	इन्दिरानगर, डूंगरपुर	340/-	1460/-
68.	शिवाजीनगर, विस्तार फेज-तृतीय डूंगरपुर	395/-	1700/-
69.	प्रतापगढ़	330/-	1420/-
70.	माहीकालोनी, बॉसवाड़ा	395/-	1695/-
71.	माहीसरोवर, बॉसवाड़ा	415/-	1785/- ✓

72.	शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा	415/-	1785/-
73.	शास्त्रीनगर, विस्तार, भीलवाड़ा	415/-	1785/-
74.	बापूनगर, भीलवाड़ा	330/-	1420/-
75.	चन्द्रशेखर आजादनगर, भीलवाड़ा	330/-	1420/-
76.	कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़	355/-	1525/-
77.	प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़	365/-	1570/-
78.	बापूनगर, चित्तौड़गढ़	300/-	1635/-
79.	चन्देरिया, चित्तौड़गढ़	410/-	1765/-
80.	गाँधीनगर, चित्तौड़गढ़	410/-	1765/-
81.	मेंती, चित्तौड़गढ़। एस. एफ. स्त.।	560/-	2405/-
82.	मेंती। सेगवारोड़। चित्तौड़गढ़	340/-	1465/-
83.	रायला	265/-	1140/-
84.	गुलाबपुरा	315/-	1355/-
85.	निम्बाहेड़ा	280/-	1205/-
86.	दादाबाड़ी, कोटा	765/-	3290/-
87.	दादाबाड़ी, विस्तार, कोटा	765/-	3290/-
88.	तलवण्डी, कोटा	560/-	2405/-
89.	केशीपुरा, कोटा	500/-	2150/-
90.	वल्लभबाड़ी, कोटा	785/-	3375/-
91.	विक्रान्तनगर, कोटा	765/-	3290/-
92.	महावीरनगर, कोटा	560/-	2405/-
93.	गणेशमालाब, कोटा	585/-	2515/-
94.	साबरमती, कोटा	765/-	3290/-
95.	रंगबाड़ी, कोटा	710/-	3050/-
96.	सकतपुरा, कोटा	90/-	390/-
97.	कुन्हाड़ी, कोटा 630/535 2+5.2.2000	645/- 765/-	3775/- 3290/-
98.	जवाहरनगर, बूँदी	460/-	1975/-
99.	विकासनगर, बूँदी	365/-	1570/-



100. भवानी मण्डी	380/-	1635/-
101. सुनेल	160/-	690/-
102. रामगंजमण्डी	355/- <sup>595/-</sup>	1525/- 1700/- 3830/5/11/01
103. बौरा	355/-	1525/-
104. शालावाड़	415/-	1785/-

उपरोक्त भूमि एवं विकास दरें निम्न शर्तों के साथ लागू मानी जावेगी:-

1. उपरोक्त आरक्षित दरें 'रिहायशी' मध्यम आय वर्ग "अ" के लिए होगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 10% की एवं अल्प आय वर्ग हेतु उपरोक्त दरों में 5% की छूट दी जावेगी। मध्यम आय वर्ग "ब" एवं उच्च आय वर्ग हेतु उपरोक्त में क्रमशः 5% व 10% की वृद्धि की जावेगी।
2. संस्थाओं की भूमि ऑक्टि करते समय उपरोक्त दरों से गणना पर 25% उपरिव्यय भार अतिरिक्त होगा।
3. भूमि एवं विकास दर की लागत गणना करते समय उपरिव्यय वर्गीकृत वसूल किये जायेंगे।
4. आवासीय भूमि के लिए लीज राशि 2.5% होगी। वाणिज्यिक भूमि के लिए लीज राशि 5% ली जायेगी। लीज की राशि आवात/भूखण्ड के कब्जे की ति: से नियमानुसार वसूलनीय होगी।
5. अतिरिक्त भूमि हेतु एवं विकास दर की गणना निर्धारित दर की 50% अतिरिक्त वसूलनीय होगी।
6. आवासीय भूखण्ड की नीलामी हेतु संबंधित श्रेणी के भूखण्ड की आरक्षित दर हेतु निर्धारित आरक्षित दर की दौ गुणा एवं निर्धारित दर के उपरिव्यय वर्गीकृत- सार शामिल किए जायेंगे।

उक्त को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन पत्रावली सं. एफ/2/3/लागत/1015"ए" की नोट शीट पैरा 134/एन पर प्राप्त है।

62

  
। सीताराम शर्मा ।

वि० स० एवं मुखयलेखाधिकारी  
राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ/2/3/लागत/1015"ए"/238 दिनांक:- 20/8/98

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज0आवा0मण्डल, जयपुर ।
2. निजि सहायक, सचिव/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज0आवा0मण्डल, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मुख्यालय, राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर ।
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर ।
5. समस्त सम्पदा प्रबन्धक/लेखाधिकारी, -----
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, -----
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड -----
8. जन सम्यर्क अधिकारी -----

*[Signature]* 20.8.98

वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रथमः

राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर :

क्रमांक: - १५५/२/३/लागत/१०१५/बी/३७ दिनांक: - १९.१२.९९

- :: कार्यालय - आदेश :: -

विषय: - मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु भूमि एवं विकास दरों तथा एन्सेलरी चार्ज की दरों के सम्बन्ध में ।

मण्डल दिनांक ५.८.२००० को आयोजित मण्डल की १८६ वीं बैठक के निर्णय क्रमांक १८६/४७ के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं: -

- १- मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक २३८ दि: २०.८.९९ के द्वारा निर्धारित रिहायशी भूमि एवं विकास दर तथा ऐसी समरत योजनाएँ जिनमें रिहायशी भूमि एवं विकास दर ३०.६.२००० तक प्रभावी थी उनकी वैधता अवधि ३१.१०.२००० तक बढ़ायी जाती है ।
- २- मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक भूमि एवं विकास दर के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश क्रमांक २३८ दिनांक २०.८.९९ एवं इसके पश्चात् जारी आदेशों जिनकी भूमि एवं विकास दर ३०.६.२००० तक प्रभावी थी, के द्वारा निर्धारित दरों में १० प्रतिशत की वृद्धि की जाती है ।
- ३- मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में संस्थानिक प्रयोजन हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि हेतु दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावे:
  - १- अनुदानित संस्थाओं हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक २३८ दिनांक २०.८.९९ के द्वारा निर्धारित दरें ही दिनांक ३१.१०.२००० तक वसूलनीय होंगी ।
  - २- गैर अनुदानित संस्थाओं हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक २३८ दि: २०.८.९९ के द्वारा निर्धारित दरों में १० प्रतिशत की वृद्धि करते हुए संशोधित दर निर्धारित कर वसूल की जावे ।
- ४- मण्डल की सभागीय मुख्यालय स्थित आवासीय योजनाओं को छोड़कर ऐसी योजनाएँ जहाँ निर्मित/प्लिथ स्तर तक के आवासीय की माँग नहीं है तथा जहाँ पंजीकृत आवेदक विकसित भूखण्ड लेना चाहते हैं। वहाँ मण्डल के पंजीकृत आवेदकों को विकसित भूखण्ड, उक्त योजना के लिये सम्बन्धित आय वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षित दर में २५ प्रतिशत जोड़ते हुए आरक्षित दर निर्धारित की जावेगी । आवासीय भूखण्डों की नीलामी हेतु आरक्षित दर पूर्वानुसार निर्धारित की जावेगी ।
- ५- एन्सेलरी चार्ज की दरों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक ५३९ दिनांक ९.२.९५ के द्वारा निर्धारित दरों के स्थान पर अब निम्नानुसार दरें प्रभावी होंगी: -

१-आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु	= १.५ प्रतिशत
२-मध्यम आय वर्ग (अ, ब) एवं उच्च आय वर्ग हेतु	= ३ प्रतिशत
३-वाणिज्यिक/संस्थाओं हेतु	= ३ प्रतिशत


। सीताराम शर्मा ।

चि० स० एवं मुख्यालयाधिकारी



प्रतिलिपि: - निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- निजि सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर ।
- 2- निजि सहायक सचिव/मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता/अति. मुख्य अभियन्ता/जोधपुर/द्वितीय/तृतीय, राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर ।
- 4- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर ।
- 5- सम्पदा प्रबन्धक, राज0 आवा0 मण्डल, .....
- 6- उप आवासन आयुक्त, वृत्त .....
- 7- आवासीय अभियन्ता, .....


  
वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रथम।

क्रमांक: -एफ/2/3/लागत/1015/474 दिनांक: - 16.11.2000

- : : कार्यालय - आदेश : : -

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से, मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 238 दिनांक 20.8.99 द्वारा निर्धारित भूमि एवं विकास दर, जिनकी वैधता अवधि 31.10.2000 तक बढ़ाई गई थी, उनकी वैधता अवधि दिनांक 31.3.2001 तक बढ़ाई जाती है ।

वाणिज्यिक भूमि एवं विकास दरे हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक: एफ/2/3/लागत/1015/बी/376 दिनांक 18.9.2000 के अनुसार 10% वृद्धि सहित ही प्रभावी रहेगी । अन्य सबी पूर्वागुसार ही रहेगी ।

  
चि० न० एवं मुख्यालेखाधिकारी  
राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।

प्रतिलिपि: -सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निजि सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 2- निजि सहायक सचिव/मुख्यालेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता/अति.मु.अभियन्ता, /जोधपुर/द्वितीय/तृतीय, राज० आवा० मण्डल, जयपुर ।
- 4- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 5- सम्पदा प्रबन्धक ।समस्त। राज० आवा० मण्डल, .....
- 6- समस्त उप आवासन आयुक्त, .....
- 7- समस्त आवासीय अभियन्ता, .....

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रथम।

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष मंडीटय की स्वीकृति से, मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 238 दिनांक 20-8-1999 द्वारा निर्धारित भूमि एवं विकास दर, जिनकी वैधता अबाध 31-3-2001 तक बढ़ाई गई थी, उनकी वैधता अबाध दिनांक 30-6-2001 तक बढ़ाई जाती है ।

वार्षिक भूमि एवं विकास दरें हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ-2/3/लागत/1015"बी"/376 दिनांक 18-9-2000 के अनुसार 10% वृद्धि सहित ही प्रभावी रहेगी ।

नोट:- भूमि एवं विकास दर के लागत आँकड़े, उस पर किये गये एवं किये जाने वाले खर्चों सहित अक्टूबर 1 मार्च-2001 तक सात दिवस में प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु भूमि एवं विकास दर निर्धारित की जा सके ।




वि० सी० एवं मुख्याधिकारी  
राज० आवासन मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक:- एफ-2/3/लागत/1015/ 18

दिनांक:- 23/11/2001

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव अध्यक्ष, आवासन आयुक्त, राज० आ० म०, जयपुर ।
- 2- निजी सहायक सचिव/मुख्याधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता, अति.मु. अभियन्ता-जोधपुर/द्वितीय/तृतीय, राज० आ० म०, जयपुर ।
- 4- मुख्य संपदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 5- संपदा प्रबन्धक समस्त राज० आ० म०, -----
- 6- समस्त उप आवासन आयुक्त, राज० आ० म०, -----
- 7- समस्त आवासीय अभियन्ता, राज० आ० म०, -----
- 8- मास्टर फाईल ।

 वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रथम।